FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 2(6))

अज अदालत [illegible] मुकाम [illegible]

बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नं. 2 सन् 2018 4/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/2018	पत्रावली [illegible] के [illegible] हुई। अभियोजन के अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त [illegible] की ओर से [illegible] उपस्थित। पत्रावली अभियोजन के अधिवक्ता को सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नियत सुनने एवं पत्रावली अवलोकन पश्चात प्रकरण के विषय को सुनते हुये एवं पक्षगण के अधिवक्ता को सुनते हुये [illegible] प्रकरण के [illegible] पत्रावली [illegible] अभियुक्त के अधिवक्ता को [illegible] जारी किये जाते हैं। अभियोजन के गवाह [illegible] पत्रावली [illegible] कर पत्रावली मुख्यालय [illegible] के [illegible] 1/4/2018 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/18	प्रस्तावित केस नोटशीट के पेश होने पर अधिवक्ता के अभिवचन एवं अभिलेख के बारे-बार अवलोकन किया गया। चूंकि वादपत्र दुरूहता के कारण अधिवक्ता के अभिवचन एवं अभिलेख उपस्थित नहीं होने के कारण अधिवक्ता को वादपत्र एवं केस पेपर्स के व्यापक त्रुटि एवं अभिलेख को जिला न्यायालय को जिला की प्राप्त फाइलों एवं दुरुस्ती लिखकर भेजने हेतु प्रस्तावित फैसला मुख्य के समक्ष प्रेषित किया जावे।	18/1/18